## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 14.09.2023

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना कौडिया पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

### 01. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मुन्नू सोनकर पुत्र कर्ताराम ग्राम नयनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–272/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**
**प्रेस नोट**
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**
**दिनांक 14.09.2023**

## दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त 36 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 14.09.2023 को दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त–तरूण पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर वादिनी श्री मती गुड़िया दुबे पत्नी रामजी दूबे नि0ग्रा0 उसरेटिया मौजा दिनारी थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए आग लगाकर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त–

01. तरूण पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय नि0 ग्राम पाण्डेय पंडित पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–402/23, धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

### गिरफ्तार कर्ता टीम–

व0उ0नि0 सभाजीत सिंह मय टीम।

# सराहनीय कार्य
# प्रेस नोट
# मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
# दिनांक 14.09.2023

**नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 14.09.2023 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त जसवीर प्रताप सिंह उर्फ राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिल्ली की रहने वाली एक लड़की जो अपने दादा(थाना तरबगंज क्षेत्र) के यहां आयी थी के साथ कोल्ड्रिंग में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**

01. जसवीर प्रताप सिंह उर्फ राजू सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह नि0 ढोढेपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0सं0–334/23, धारा 376,328 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता–**

अ0प्र0नि0 तरबगंज रामप्रकाश यादव मय टीम।

**सराहनीय कार्य**
**प्रेस नोट**
**मीडिया सेल जनपद गोंडा**
**दिनांक 14.09.2023**

## थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को बरामद कर उसके परिजन को किया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल ने ‘‘ऑपरेशन मुस्कान’’ के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा बालकों/व्यक्तियों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गुमशुदा श्रीराम को बरामद किया गया। गुमशुदा श्रीराम अपने घर से कही चला गया था। जिसकी गुमशुदगी थाना कौड़िया में दर्ज थी। आज दिनांक 14.09.2023 को थाना कौड़िया के उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार यादव द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनो द्वारा गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त सराहनीय कार्य की आमजनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

**सराहनीय कार्य**
**प्रेस नोट**
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**
**दिनांक 14.09.2023**

**नशीली गोलियों के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार –**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 14.09.2023 को थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मसकनवा भोपतपुर मार्ग से नारायनपुर जाने वाली नहर की पटरी से अभियुक्त संजय वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 825 टेबलेट अल्प्राजोलम की नशीली गोलिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**

01. संजय वर्मा पुत्र धर्मेन्द्र कुमार वर्मा नि0 ग्राम बहिराडीहा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0सं0–273/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**आपराधिक इतिहास–**

01. मु0अ0सं0–203/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–288/22, धारा 323,504,506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–30/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी–**

01. 825 अल्प्राजोलम टैबलेट।

**गिरफ्तार कर्ता–**

उ0नि0 राजेश कुमार दुबे मय टीम।

**सराहनीय कार्य**
**प्रेस नोट**
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**
**दिनांक 14.09.2023**

**जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम ग्राम मवई मदरसा से जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 31.01.2023 को अपने साथ अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी प्रदीप कुमार वर्मा व उसके भाई मनोज कुमार को बलवा करते हुए लाठी–डण्डों से मारा–पीटा था। जिससे वादी के भाई को गम्भीर चोटे आयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**

01. अल्ताफ पुत्र अख्तर हुसैन नि0 ग्राम खजूरी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0सं0–25/23, धारा 147,148,149,323,504,506,325,308,307,120बी भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम–**

उ0नि0 शैलेन्द्र राय मय टीम।